



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022024-252475
CG-DL-E-28022024-252475

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 895]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2024/फाल्गुन 9, 1945

No. 895]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2024

का.आ. 940(अ).—केंद्रीय सरकार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 31 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के कतिपय उपबंध, जैसा कि सारणी 1 और सारणी 2 के स्तंभ संख्या (2) में विनिर्दिष्ट है, यथास्थिति वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थानों पर, उक्त सारणियों के स्तंभ संख्या (3) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे परिवर्तनों सहित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के मामले में भी लागू होंगे, अर्थात्:

सारणी 1

विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005

क्र.सं.	धारा	परिवर्तन
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 12 की उप-धारा (6)	धारा 12 में, उप-धारा (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

		(7) "इस धारा में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, यदि किसी इकाई को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मान्यता, रजिस्ट्रीकरण, लाइसेंस या प्राधिकार की आवश्यकता होती है तो उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के सिवाय, इस धारा के अधीन विकास आयुक्त की शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा "प्रशासक (आईएफएससीए) " के रूप में नामित किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
2.	धारा 13 की उप-धारा (2) का खंड (च)	धारा 13 की, उपधारा (2) में, खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- 'परन्तु अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा किसी भी इकाई को मान्यता, रजिस्ट्रीकरण, लाइसेंस या प्राधिकार की आवश्यकता होती है तो धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अनुमोदन समिति का अध्यक्ष "प्रशासक (आईएफएससीए)" होगा।'
3	धारा 15 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (9)	धारा 15 में, (क) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- 'परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई इकाई स्थापित करने का आशय रखता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मान्यता, रजिस्ट्रीकरण, लाइसेंस या प्राधिकार की आवश्यकता होती है तो वह "प्रशासक (आईएफएससीए)" को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।' (ख) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- " परन्तु उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन प्राप्त ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अनुमोदन समिति के पास उसके अनुमोदन के लिए भी भेजा जाएगा। (ग) उपधारा (9) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :- " परन्तु प्रशासक (आईएफएससीए) उप-धारा (3) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात्, संबंधित व्यक्ति को किसी भी ऐसी इकाई को स्थापित करने और उसके प्रचालन का अनुमोदन दे सकता है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मान्यता, रजिस्ट्रीकरण, लाइसेंस या प्राधिकार की आवश्यकता होती है: परन्तु यह और कि ऐसी इकाइयों के संबंध में सुसंगत जानकारी प्रशासक (आईएफएससीए) द्वारा एसईजेड के विकास आयुक्त के साथ मासिक आधार पर या समय-समय पर जब भी आवश्यक हो, साझा की जाएगी।

सारणी 2

विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006

क्र.सं.	नियम	परिवर्तन
(1)	(2)	(3)
1.	नियम 17 का उप-नियम (1)	नियम 17 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया

		जाएगा, अर्थात्:- "परन्तु, जब किसी इकाई की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की मान्यता, रजिस्ट्रीकरण, लाइसेंस या प्राधिकार की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में आवेदन प्ररूप एफए में प्रशासक (आईएफएससीए) को किया जाएगा, और ऐसी इकाई के लिए प्ररूप एफ लागू नहीं होगा।
2.	नया प्ररूप 'एफए'	फॉर्म एफ के बाद, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

" प्ररूप एफए**समेकित आवेदन पत्र**

(नियम 17 के उप-नियम (1) का परंतुक देखें)

1. विशेष आर्थिक जोन में इकाइयों की स्थापना;
2. आयातक निर्यातक कोड संख्या का आवंटन;
3. विशेष आर्थिक जोन में भूमि/औद्योगिक शेड/कार्यालय स्थान का आवंटन;
4. रजिस्ट्रीकरण -सह-सदस्यता प्रमाणपत्र;
5. जीएसटी/बिक्री कर रजिस्ट्रीकरण;
6. राज्य सरकार से अपेक्षित कोई अन्य अनुमोदन।

आवेदन नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार कांडला विशेष आर्थिक जोन के वेतन और लेखा अधिकारी को पांच हजार रुपये की राशि के भुगतान के सुसंगत विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, साथ ही प्रस्तावित कार्यकलापों का विवरण देते हुए एक परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

बैंक का नाम: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

खाता संख्या: 3561135529

आईएफएससी कोड: सी बी आई एन 0282169

एमआईसीआर कोड: 110016060

शाखा कोड: 282169

शाखा स्थान: उद्योग भवन, नई दिल्ली

राशि रु.

लेन-देन/संदर्भ सं.

लेन-देन की तारीख

भुगतान का माध्यम

(एन ई एफ टी/आर टी जी एस/यू पी आई, इत्यादि)

केवल कार्यालयी उपयोग हेतु

आवेदन सं.

तारीख:

I. आवेदक फर्म/कंपनी का नाम और पूरा पता

(बड़े अक्षरों में) _____

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (लिमिटेड कंपनी के मामले में और
अन्य के लिए प्रधान कार्यालय) _____

पिन कोड _____

दूरभाष सं. _____

स्थायी ई-मेल पता _____

वेब-साइट, यदि कोई हो _____

पासपोर्ट संख्या, यदि कोई हो _____

बैंक का नाम, पता और खाता संख्या _____

डिजिटल हस्ताक्षर _____

आयकर पैन (प्रतिलिपि संलग्न करें) _____

II. आवेदक फर्म की प्रकृति:

उचित प्रविष्टि पर (✓) निशान लगायें

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
सीमित देयता भागीदारी
साझेदारी
शाखा
स्वामित्व
न्यास
अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)

(कंपनियों के मामले में संगम-अनुच्छेद और संगम ज्ञापन तथा साझेदारी फर्मों के मामले में साझेदारी विलेख, सीमित देयता भागीदारी के मामले में एलएलपी विलेख और अन्य समतुल्य निगमन दस्तावेजों के साथ निगमन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

III. आईएफएससीए विनियमों के अनुसार प्रस्तावित व्यवसाय क्षेत्र

(जैसे बैंकिंग, कोष प्रबंधन, बीमा आदि) _____

IV. प्रत्येक निदेशक/भागीदार/स्वामित्वधारी, जैसा भी मामला हो, _____ का नाम और पूरा पता, टेलीफोन सं. के साथ

V. निवेश: (रुपए लाख में)

(क) कार्यालय उपस्कर जैसे कंप्यूटर, सर्वर, कार्यालय फर्नीचर।

(i) स्वदेशी _____

(ii) आयात सीआईएफ मूल्य _____

(iii) कुल (i) + (ii) _____

(ख) वित्त के स्रोत का विवरण

VI. अवसंरचना की आवश्यकताएँ

भूमि/कार्यालय स्थान की आवश्यकता:- _____ (क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)

VII. रोजगार

पुरुष _____

महिला _____

ट्रांसजेंडर _____

VIII. आईएफएससी इकाई की शेयरधारिता

(क) इक्विटी पूंजी सहित विदेशी निवेश : (\$ हजार में) (रु. लाख में)

(i) प्राधिकृत _____

(ii) अभिदत्त _____

(iii) प्रदत्त पूंजी _____

टिप्पण: यदि यह एक मौजूदा कंपनी है, तो मौजूदा और प्रस्तावित पूंजी संरचना का विवरण दें

(ख) शेयरधारिता स्वरूप: (\$ हजार में) (रु. लाख में)

(i) विदेशी धृति _____

(ii) भारतीय धृति _____

(iii) आईएफएससी धृति _____

कुल इक्विटी _____

IX. अन्य सूचना

क्या आवेदक को ईओयू/एसईजेड/एसटीपी/ईएचटीपी योजना के अधीन कोई औद्योगिक लाइसेंस अथवा एलओआई/एलओए जारी किया गया है। यदि हां, तो संदर्भ संख्या, जारी करने की तारीख, प्रस्तावित निर्माण/सेवाओं की मर्दें और प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति का पूरा विवरण दें।

क्या आवेदक या किसी साझेदार/निदेशक, जो किसी अन्य कंपनी या फर्मों के साझेदार/निदेशक भी हों, के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है या उन्हें विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 अथवा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944.के अधीन कोई लाइसेंस/आशय पत्र/अनुमति पत्र प्राप्त करने से वंचित किया गया है।

स्थान : _____ आवेदक के हस्ताक्षर: _____

तारीख: _____ बड़े अक्षरों में नाम: _____

पदनाम : _____

शासकीय मोहर/स्टांप दूरभाष संख्या: _____

ईमेल: _____

वेब-साइट, यदि कोई हो _____

पूर्ण आवासीय पता _____

वचनबंध

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि उपरोक्त कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं/हम विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तों का पालन करेंगे।

मैं/हम पूर्णतः यह समझते हैं कि कोई भी सूचना या तथ्य गलत या असत्य पाये जाने पर दी गयी सूचना के आधार पर मुझे/हमें दिया गया कोई भी अनुमति पत्र/अनुमोदन रद्द किया जा सकता है या मामले की परिस्थितियों के संबंध में की जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

उपर्युक्त सूचना के समर्थन में विधिवत शपथ पत्र संलग्न है।

स्थान : _____ आवेदक के हस्ताक्षर: _____

तारीख: _____ बड़े अक्षरों में नाम: _____

पदनाम: _____

शासकीय मोहर/स्टांप दूरभाष संख्या: _____

ईमेल: _____

वेब-साइट, यदि कोई हो _____

पूर्ण आवासीय पता _____ ”.

[फा. सं. 3/4/2022-ईएम]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2024

S.O. 940(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 31 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby directs that certain provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) and the Special Economic Zones Rules, 2006, as specified in column number (2) of Table 1 and Table 2, shall apply with such modifications, as specified in column number (3) of the said Tables, to the financial products, financial services or financial institutions, as the case may be, in an International Financial Services Centre, namely:

TABLE 1**THE SPECIAL ECONOMIC ZONES ACT, 2005**

Sl.No.	Section	Modifications
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-section (6) of section 12	In section 12, after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted namely: ‘(7) “Notwithstanding anything contained in this section, in case any Units requiring recognition, registration, license or authorisation by the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the powers and functions of the Development Commissioner under this section, except the powers conferred under sub-section (3), shall be discharged by an officer nominated by the International Financial Services Centres Authority to be designated as “Administrator (IFSCA)”.’.

2.	Clause (f) of sub-section (2) of section 13	In section 13, in sub-section (2), after clause (f), the following proviso shall be inserted, namely: - ‘Provided that for a Unit requiring recognition, registration, license or authorisation by the International Financial Services Centres Authority, the Chairperson of the Approval Committee under clause (a) of sub-section (2) of section 13 shall be the “Administrator (IFSCA)”.’.
3	Sub-sections (1), (2) and (9) of section 15	In section 15 (a) in sub-section (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: ‘Provided further that any person intending to set up a Unit, requiring recognition, registration, license or authorisation by the International Financial Services Centres Authority, shall submit a proposal to the “Administrator (IFSCA)”.’. (b) in sub-section (2), the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided that any such proposal received under second proviso to sub-section (1), shall also be sent to the Approval Committee for its approval.”; (c) in sub-section (9), the following provisos shall be inserted, namely: - “Provided that the Administrator (IFSCA) may, after approval of the proposal referred to in sub-section (3), grant the letter of approval to the person concerned to set up any Unit and undertake such operations, requiring recognition, registration, license or authorisation by the International Financial Services Centres Authority: Provided further that relevant information regarding such Units shall be shared by the Administrator (IFSCA) with the Development Commissioner of the SEZ on a monthly basis or as may be required from time to time”.

TABLE 2

THE SPECIAL ECONOMIC ZONES RULES, 2006

Sl.No	Rules	Modifications
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-rule (1) of rule 17	In rule 17, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: - “Provided that, an application seeking permission for setting up a Unit requiring recognition, registration, license or authorisation by the International Financial Services Centres Authority shall be made to the Administrator (IFSCA) in Form FA, and Form F shall not be applicable to such Unit.”.
2.	New Form ‘FA’	After Form F, the following Form shall be inserted, namely: -

“FORM FA

CONSOLIDATED APPLICATION FORM for

(See proviso to sub-rule (1) of rule 17)

1. Setting up of units in Special Economic Zone;
2. Allotment of Importer Exporter Code Number;
3. Allotment of land/industrial sheds/Office Space in the Special Economic Zone;
4. Registration-cum-Membership Certificate;
5. GST/Sales Tax registration;
6. Any other approval as may be required from the State Government.

The application should be submitted along with relevant payment details for a sum of rupees five thousand made to the Pay and Accounts Officer of the Kandla Special Economic Zone as per the details mentioned below, together with a project report giving details of activities proposed.

Name of the Bank: CENTRAL BANK OF INDIA

Account No: 3561135529

IFSC Code: CBIN0282169

MICR Code: 110016060

Branch Code: 282169

Branch Location: Udhyog Bhawan, New Delhi

Amount Rs. _____

Transaction/ Reference No. _____

Transaction date _____

Mode of Payment _____
(NEFT/ RTGS/ UPI etc.)

For Official Use only

Application No. _____

Date: _____

I. Name and full address of applicant firm/
company (in block letters) _____

Registered Office (in case of limited
Company and Head Office for others) _____

Pin Code _____

Tel.No. _____

Permanent E-Mail Address _____

Web-Site, if any _____

Passport No., if any _____

Name of Bank with Address and Account No. _____

Digital Signature _____

Income Tax PAN (attach copy) _____

II. Constitution of the applicant firm: _____

[Tick (✓) the _____
appropriate entry] _____

Public Limited Company
Private Limited Company
Limited Liability Partnership
Partnership
Branch
Proprietor ship
Trust
Others (please specify)

(Attach Copy Of Certificate Of Incorporation along with Articles Of Association And Memorandum of Association In Case Of Companies And Partnership Deed In Case Of Partnership Firms, LLP Deed In Case of Limited Liability Partnership and other equivalent incorporation documents)

- III. Area of Business proposed to be undertaken as per IFSCA Regulations: _____
(Eg. Banking, Fund Management, Insurance etc.)
- IV. Name and complete address of each _____ of the Directors/Partners/Proprietor, as the case may be with Telephone numbers

V. INVESTMENT: (RS. IN LAKHS)

(a) Office Equipment such as computers, servers, office furniture.

- (i) Indigenous _____
- (ii) Import CIF value _____
- (iii) Total (i) + (ii) _____

(b) Details of source(s) of finance

VI. INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS

Requirement of land/Office Space: - _____ (Area in sq. mtrs.)

VII. EMPLOYMENT

Men _____

Woman _____

Transgenders _____

VIII. Shareholding of IFSC Unit

(a) Equity Capital incl. Foreign Investment : (\$ in thousand)	(Rs. in lakhs)
(i) Authorized _____	_____
(ii) Subscribed _____	_____
(iii) Paid Up Capital _____	_____

Note: If it is an existing company, give the break up of existing and proposed capital structure

(a) Shareholding Pattern :	(\$ in thousand)	(Rs. in lakhs)
(i) Foreign Holding	_____	_____
(ii) Indian Holding	_____	_____
(iii) IFSC Holding	_____	_____
Total Equity	_____	_____

IX. OTHER INFORMATION

Whether the applicant has been issued any Industrial license or LOI/LOA under EOU/SEZ/STP/EHTP scheme. If so, give full particulars, namely reference number, date of issue, items of manufacture/ services offered and progress of implementation of each project.

Whether the applicant or any of the partner/Director who are also partners/Directors of another company or firms its associate concerns are being proceeded against or have been debarred from getting any License/Letter of Intent/ Letter

of Permission under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 or Foreign Exchange Management Act, 1999 or Customs Act, 1962 or Central Excise Act, 1944.

Place : _____	Signature of the Applicant : _____
Date: _____	Name in Block Letters : _____
	Designation : _____
Official Seal/Stamp	Tel. No. : _____
	e-mail : _____
	Web-Site, if any _____
	Full Residential Address _____

UNDERTAKING

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We shall abide by any other condition, which may be stipulated by the Development Commissioner.

I/We fully understand that any Permission Letter/Approval granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein furnished are incorrect or false.

An affidavit duly sworn in support of the above information is enclosed.

Place : _____	Signature of the Applicant : _____
Date: _____	Name in Block Letters : _____
	Designation : _____
Official Seal/Stamp	Tel. No. : _____
	e-mail : _____
	Web-Site, if any _____
	Full Residential Address _____ ”.

[F. No. 3/4/2022-EM]
SURBHI JAIN, Jt. Secy.